न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 72/2011 G.C.M.S. No. 2011/00102 दर्ज दिनांक : 22.12.2011

अपीलार्थिगण:

1. अमरा पुत्र गोरधन, उम्र 40 वर्ष, निवासी सिणगारी तहसील रोहट, जिला पाली।
2. कानाराम पुत्र धन्नाराम उम्र 55 वर्ष, निवासी सिणगारी तहसील रोहट, जिला पाली।
3. लुम्बाराम पुत्र धन्नाराम, उम्र 47 वर्ष, निवासी सिणगारी तहसील रोहट, जिला पाली।
4. गोपाराम पुत्र धन्नाराम, उम्र 45 वर्ष, निवासी सिणगारी तहसील रोहट, जिला पाली।
5. पूनाराम पुत्र हरजी, उम्र 56 वर्ष, निवासी सिणगारी तहसील रोहट, जिला पाली।
6. सालगराम पुत्र हरजी, उम्र 45 वर्ष, निवासी सिणगारी तहसील रोहट, जिला पाली।
7. अणदा पुत्र स्व. परखा, उम्र 33 वर्ष, निवासी सिणगारी तहसील रोहट, जिला पाली।
8. झमकू पत्नि स्व. परखा, उम्र 43 वर्ष, निवासी सिणगारी तहसील रोहट, जिला पाली।
9. रूकमी पत्नि स्व. किशना, उम्र 70 वर्ष, निवासी सिणगारी तहसील रोहट, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार रोहट।
2. केवलराम पुत्र वक्ताराम, उम्र 33 वर्ष, जाति पीटल, निवासी सिणगारी तहसील रोहट, जिला पाली।
3. राजाराम पुत्र वक्ताराम, उम्र 35 वर्ष, जाति पीटल, निवासी सिणगारी तहसील रोहट, जिला पाली।
4. तुलसी पत्नि स्व. वक्ताराम, उम्र 60 वर्ष, जाति पीटल, निवासी सिणगारी तहसील रोहट, जिला पाली।
5. खीमाराम पुत्र हरजी, उम्र 48 वर्ष, निवासी सिणगारी तहसील रोहट, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 14/2011 बअनवान अमरा वगैरह बनाम सरकार वगैरह में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2011

पैरोकार:–

1. श्री पी.एम.जोशी, श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांकः 14.08.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 14/2011 बअनवान अमरा वगैरह बनाम सरकार वगैरह में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 एवं धारा 151 व्य.प्र.सं. अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज वाद 106/10 एवं राजस्व विविध 73/10 अमरा बनाम स्टेट तारीख आदेश 16.09.2010 को अपास्त कर प्रकरण को पुनः बरामद करने के निवेदन के साथ प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन प्रस्तुति पर विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए, परन्तु उन्होंने आपत्ति स्वरूप कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। तत्पश्चात् बहस प्रार्थी सुनी जाकर 21.6.2011 की दिनांक में आदेश लिखाया गया एवं आवेदन खारिज किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने कथनों को शपथ–पत्र से समर्थित किया था, जिनके खण्ड़न का कोई जवाब नहीं था, कोई शपथ–पत्र खण्डन का नहीं था। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। मूल वाद अनौपचारिक रूप से खारिज किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी संख्या 1, 3, 6, 7, 8 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने, उन्हें आवाज दिलाने एवं हाजिर नहीं आने से वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने का आदेश देते हुए आदेशिका अंकित की गई। प्रकरण में कुल 9 वादीगण थे। कुछ वादीगण के नोटिस तामील हो जाने मात्र से वादी संख्या 2, 4, 9 के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता था एवं उन्हें सूचना दिये जाने के अधिकारों से न्यायालय किसी भी रूप से गुरेज नहीं कर सकते थें। ऐसी सूचना को अनदेखा कर आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। इसके बावजूद मूल वाद एवं मूल अस्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण खारिज किये गये थें, जिनको संस्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक भूल की हैं। सुस्थापित विधि गुणावगुण पर सुनवाई की है, तकनीकी रूप से आदेश जारी करने की नहीं हैं, न ही प्रक्रिया के आधार पर किसी को न्याय से वंचित करने की है। संदर्भित वाद धारा 88, 92ए, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीगण के कुंए को नष्ट करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया था, जिसका विचारण गुणावगुण पर अत्यावश्यक कृषि प्रधान देश में एवं पानी की उपलब्धता के आधार पर भी आवश्यक रहता है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर तात्विक रूप से एवं गुणावगुण पर निर्णय से बचते हुए प्रक्रिया के आधार पर

Scanned with OKEN Scanner

सुनवाई से वंचित किये जाने के आदेश दिये गये थें एवं पुनर्स्थापना के आवेदन को भी खारिज किया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्ध होने से रद्द किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही पंक्ति में प्रस्तुत नजीरें प्रार्थना–पत्र का कत्तई समर्थन नहीं करना अंकित किया है, जबकि न्यायिक दृष्टांतों से यह स्पष्ट किया गया था कि प्रकरण की गुणावगुण पर सुनवाई आवश्यक है तथा प्रार्थीगण को न्याय से वंचित करने के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के निवासी व्यक्तियों को विधिक प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने एवं प्रकरण को गुणावगुण पर सुनवाई करने से सम्बन्धित ही विधिक न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये थें, जिसे एक ही पंक्ति में समर्थन नहीं करना अंकित कर देखने की जहमत नहीं उठाई। न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन नहीं करना अवमानना की श्रेणी में आता है, अन्यथा भी समस्त परिस्थितियों में प्रार्थीगण वादीगण का प्रकरण होने से उनके स्वयं द्वारा देरी करने का नहीं समझा जा सकता है, न ही जान–बूझकर उपस्थित रहने का समझा जा सकता है, न ही इसके पीछे अन्य कोई कारण होने का समझा जा सकता है। प्रार्थीगण के उद्देश्य के विपरित विपक्षियों को कोई ऐतराज भी नहीं था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का कल्पना के आधार पर आदेश पारित करने का कोई आधार नहीं बनता है। न्याय की प्रक्रिया के अनुसार भी एवं गुणावगुण पर निर्णय की विधि को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कत्तई उचित नहीं है एवं रद्द किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे आदेश दिनांक 21.06.2011 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रार्थी द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पाली में अपीलांट वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया। जो न्यायालय सहायक कलक्टर पाली से न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट को अंतरित होकर दिनांक 25.05.2010 को न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को नोटिस जारी किए गए।

Scanned with OKEN Scanner

आदेशिका दिनांक 06.09.2010 के अंकन अनुसार प्रतिवादी केवलराम की उपस्थिति का अंकन करते हुए वादीगण संख्या 1, 3, 6, 7 व 8 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने के अंकन के साथ वादपत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। जिसके रेस्टोर के लिए वादीगण प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.06.2011 द्वारा इस निष्कर्ष के साथ कि पत्रावली स्थानांतरित होकर न्यायालय को प्राप्त हुई। जिसकी जानकारी उनके अधिवक्ता को भी थीं। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी बाद नोटिस तामील के जानबूझकर अनुपस्थित रहें तथा हाजिर नहीं आने का कोई उचित आधार नहीं बताया गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली एक न्यायालय से अंतरित होकर अन्य न्यायालय को प्राप्त होती हैं तथा यदि पूर्व न्यायालय द्वारा पक्षकारान को अंतरित न्यायालय में उपस्थिति बाबत कोई दिनांक व समय नियत नहीं किया जाता है तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह समस्त पक्षकारान को विधिवत नोटिस तामील करवाते हुए सूचित करें। लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा वादीगण को विधिवत तामील नहीं करवाई गई तथा केवल वादी संख्या 1, 3, 6, 7 व 8 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के आधार पर वादपत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। जबकि प्रकरण में अन्य वादीगण भी हैं। इसी प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रेस्टोर प्रार्थना पत्र का भी विवेचन किए बिना तथा कारण सहित विनिश्चय प्रकट किए बिना प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, जो समर्थन योग्य नहीं हैं। अतः हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय में नियत दिनांक को वादीगण अपीलांट की अनुपस्थिति जानबूझकर एवं बावजूद सूचना के नहीं होकर समुचित तामील के अभाव एवं युक्तियुक्त कारणों से हुई हैं, अतः अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2011 को अपास्त करते हुए अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 106/2010 बअनवान अमरा वगैरह बनाम सरकार वगैरह एवं इससे संबंधित राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 73/2010 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2010 को अपास्त करते हुए वादपत्र विचारणार्थ अधीनस्थ न्यायालय में पुनः ग्रहण किया जाना का आदेश पारित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 14/2011 बअनवान अमरा वगैरह बनाम सरकार वगैरह में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2011 को अपास्त करते हुए अपीलांट वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 106/2010 बअनवान अमरा वगैरह बनाम सरकार वगैरह एवं इससे संबंधित राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 73/2010 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2010 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा मूल वादपत्र व इससे संबंधित प्रार्थना पत्र विचारणार्थ पुनः ग्रहण किया जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **14.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner